राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, राज. जयपुर

क्रमांकः एफ.9(67)लेखा / क्रय–ब / गोल्डन स्ट्रीक / 2016–18 / 2208 दिनांकः 20/06/2019

कार्यालय आदेश

M/S Golden Streak Drugs and Pharmaceuticals Ltd. Hydrabad ने निदेशालय द्वारा जारी बोली संख्या 8379 दिनांक 07–09–16 में भाग लिया था तथा बोली के साथ शपथ पत्र के बिन्दु सं0 3 पर अंकित किया था कि " I have not been deregistered or blacklisted by any government/autonomus institution, hospital or body in India for any item which is being quoted hereby me in this bid or for participating in Bid altogether". जबकि फर्म की औषधि Gentamycin cream अधोमानक स्तर (misbranded, in respect of labelling of batch no. &Expiry date) एवं Fenbendazole Tablet को (not of standard quality in respect or disintegration) की घोषित किये जाने के कारण निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने आदेश क्रमांक 883 / क्र.प. से / गोल्डन स्ट्रीक / अधो.औ. / प्रतिबंध / 2013–14 दिनांक 13–11–13 द्वारा तत्काल प्रभाव से फर्म को अग्रिम आदेशों तक निविदा में भाग लेने हेतु / पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार करने हेतु प्रतिबन्धित किया हुआ था। इस सूचना को फर्म ने अपने शपथ पत्र में अंकित नही किया ।

M/S Golden Streak Drugs and Pharmaceuticals Ltd. Hydrabad द्वारा टेन्डर डॉक्यूमेन्ट में वास्तविकता के विपरीत गलत शपथ पत्र देने के कारण सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया जाना स्थापित होने के कारण कार्यालय आदेश एफ.9(67)लेखा / क्रय–ब / गोल्डन स्ट्रीक / 2016–18 / 270 दिनांक 13–4–17 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अन्तर्गत फर्म की बोली प्रतिभूति राशि के रूप में जमा बैंक गारन्टी राशि रू 5,18,000 / – समपहरित करने के आदेश जारी किये गये थे।

कार्यालय पत्र क्रमांक 346 दिनांक 14–5–18 से संबंधित बैंक शाखा को बैंक गारंटी की राशि रूपये 5,18,000 / – का डी.डी. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर के पक्ष में बनवाकर निदेशालय भिजवाने के लिए लिखे जाने पर बैंक ने ई–मेल दिनांक 13–6–18 से अवगत कराया कि "BG has been closed as per the records on 01-03-2017."

बैंक द्वारा फर्म **M/S Golden Streak Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Hydrabad** की समपहरित बैंक गारन्टी राशि रू 5,18,000 / – का भुगतान विभाग को नहीं करने के कारण कार्यालय पत्र क्रमांक 798 दिनांक 01–05–19 से उक्त समपहरित राशि रू 5,18,000 / – 15 दिवस में जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। फर्म द्वारा समपहरित राशि रू 5,18,000 / – जमा नहीं करायी गयी ना ही फर्म द्वारा पत्र का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गयां।

फर्म **M/S Golden Streak Drugs and Pharmaceuticals Ltd. Hydrabad द्वारा** गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन करने एवं समपहरित बोली प्रतिभूति राशि रू 5,18,000 / जमा नहीं कराने के कारण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46(3)व (4) के अन्तर्गत फर्म को यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिये विभागीय उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से विवर्जित (Debarred) किया जाता है एवं विभाग में फर्म की अन्य किसी भी रूप में जमा रखी गयी बोली प्रतिभूति राशि / कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि या फर्म को देय अन्य किसी राशि को रू 5,18,000 / की सीमा तक समपहरित किये जाने का निर्णय किया जाता है।

(डॉ शैलेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः एफ.9(67)लेखा / क्रय–ब / गोल्डन स्ट्रीक / 2016–18 / दिनांकः

प्रतिलिपिः–(1) आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर को भेज कर निर्देश है कि फर्म की विभाग में उपलब्ध बोली प्रतिभूति राशि / कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि या फर्म को देय अन्य किसी राशि, बैंक गारन्टी / प्रतिभूति राशि रू को भुनाते हुये राजकोष में जमा करवाये जाने की कार्यवाही करावें एवं शेष राशि वसूली सम्बन्धी आगामी यथेष्ठ कार्यवाही कर क्रय अनुभाग को अवगत करावे।

(2) M/s Golden Streak Drugs and Pharmaceuticals Ltd., 203/5 IDA,Cherlapalli Phase II Hydrabad-को सूचनार्थ।

(3) उप निदेशक, आई.टी. एवम् नोडल अधिकारी, निदेशालय पशुपालन, जयपुर को अपलोड करने हेतु ।

निदेशक